

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

मो0 आफाक अहमद,
विशेष कार्य पदाधिकारी

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभाग, बिहार
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
बिहार।
सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना-15, दिनांक २१.५.२६

विषय :- iGOT कर्मयोगी पोर्टल पर प्रशिक्षण हेतु चिन्हित अनिवार्य कोर्स में आंशिक संशोधन के संबंध में।

प्रसंग :- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार का पत्रांक-8627, दिनांक-15.05.2026

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र के माध्यम से बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार सचिवालय सेवा एवं बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के पदाधिकारियों एवं कर्मियों के लिये iGOT कर्मयोगी पोर्टल पर प्रशिक्षण हेतु अनिवार्य कोर्स चिन्हित किया गया है।

बिहार प्रशासनिक सेवा के बेसिक ग्रेड से अपर समाहर्ता स्तर के पदाधिकारियों के लिये चिन्हित Mandatory Course अनुसूची-A के क्रमांक-7 एवं 12 पर एक ही कोर्स "Delegation of Power in Day-to-Day administration" अंकित है।

अतः बिहार प्रशासनिक सेवा के बेसिक ग्रेड से अपर समाहर्ता स्तर के पदाधिकारियों के लिये चिन्हित Mandatory Course अनुसूची-A के क्रमांक-12 पर पूर्व से अंकित कोर्स को विलोपित करते हुये नया कोर्स "Basics of e-Governance and Digital India" प्रतिस्थापित किया जाता है।

आदेश की शेष कंडिका यथावत रहेगी।

विश्वासभाजन

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक-18/प्रशि-01-05/2026 सा0 प्र0 २०५९ दिनांक-२१.५.२६

प्रतिलिपि:- अपर महानिदेशक, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान, पटना एवं गया/आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार को आवश्यक कार्यार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के लिये सूचनार्थ प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी